UP APO (Mains) 2026
Paperathon & Practice Booklet

Smart Analysis of Last 10 years Exam Papers
(Subject wise with Marks weightage)

Sample Preview

हिन्दी संस्करण

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

INDEX		
Paper	**Subjects**	**Page No.**
-	**Syllabus**	**6-7**
	Paperathon Booklet	
P-I	**सामान्य हिन्दी**	**7-25**
P-III	**सामान्य ज्ञान**	**26-47**
P-IV	**आपराधिक विधि और प्रक्रिया**	**48-87**
P-V	**साक्ष्य विधि (Shakshya Adhiniyam)**	**88-117**
	Practice Booklet	
P-II	**General English***	**118-126**
P-VI	**Other Acts (अन्य अधिनियम)***	**127-267**
(i)	आयुध अधिनियम, 1959	127-131
(ii)	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012	132-160
(iii)	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	160-170
(iv)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	170-191
(v)	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	191-195
(vi)	सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000	196-221
(vii)	विस्फोटक अधिनियम, 1884	221-225
(viii)	लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	226-231
(ix)	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	232-234
(x)	विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946	234-240
(xi)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	240-245
	UP Local Laws	
(xii)	उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970	246-250
(xiii)	उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986	250-256
(xiv)	उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम, 1955	257-260
(xv)	उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021	260-262
(xvi)	उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024	262-267

***Note** : Paper II and Paper VI were not part of syllabus earlier hence not covered in this specific Paperathon Booklet. Though Separate Practice Booklet is available at www.LinkingLaws.com

Sample Preview

प्रश्न -पत्र – I {सामान्य हिन्दी}

2015

1. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 1000 शब्दों का निबंध लिखिए: **[25]**

(क) राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप कितना उचित, कितना अनुचित
(ख) महात्मा गाँधी की प्रासंगिकता
(ग) आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है

उत्तर– (क) राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप कितना उचित, कितना अनुचित

प्रस्तावना

"धर्म विहीन राजनीति पूर्णतः कूड़ा है, जिसे जला देना चाहिए।" महात्मा गांधी के इस कथन का आशय संप्रदायवाद से नहीं, बल्कि राजनीति में 'नैतिकता' और 'मूल्यों' के समावेश से था। मानव सभ्यता के इतिहास में धर्म और राजनीति दो अत्यंत प्रभावशाली संस्थाएं रही हैं। जहाँ धर्म व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं राजनीति समाज के भौतिक प्रबंधन और न्यायपूर्ण शासन का उत्तरदायित्व संभालती है। भारत जैसे बहुधर्मी और लोकतांत्रिक देश में इन दोनों का अंतर्संबंध सदैव चर्चा और विवाद का विषय रहा है। राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप एक 'दोधारी तलवार' के समान है, जो यदि मूल्यों पर आधारित हो तो कल्याणकारी है, और यदि संकीर्णता पर आधारित हो तो विनाशकारी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: 'राजधर्म' की अवधारणा

भारतीय चिंतन परंपरा में राजनीति कभी भी धर्म से पृथक नहीं रही। प्राचीन ग्रंथों में 'राजधर्म' का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति से न होकर शासक के 'कर्तव्य' से था। चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में भी राजा को धर्म का रक्षक माना गया है, जहाँ धर्म का अर्थ न्याय और प्रजा-पालन है। मध्यकाल में अकबर की 'दीन-ए-इलाही' जैसी नीतियां धर्म और राजनीति के सकारात्मक समन्वय का प्रयास थीं। किंतु आधुनिक युग में, विशेषकर औपनिवेशिक काल के दौरान, 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने धर्म को राजनीति के एक घातक हथियार के रूप में परिवर्तित कर दिया।

धर्म का उचित हस्तक्षेप: जब धर्म 'नैतिक प्रकाश' बनता है

राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप तब उचित और स्वागत योग्य माना जाता है जब वह शासन को 'मानवीय चेहरा' प्रदान करता है:

1. **नैतिकता का समावेश:** राजनीति अक्सर सत्ता की अंधी दौड़ बन जाती है। धर्म यहाँ 'अंकुश' का कार्य करता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे धार्मिक मूल्य राजनेताओं को भ्रष्टाचार और अनैतिकता से दूर रखते हैं।
2. **लोक कल्याण और सेवा:** विश्व के सभी प्रमुख धर्म 'परोपकार' की शिक्षा देते हैं। जब कोई राजनीतिज्ञ इन मूल्यों से प्रेरित होकर नीति निर्माण करता है, तो वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति (अंत्योदय) के उत्थान के लिए कार्य करता है।
3. **सामाजिक न्याय:** धर्म के अंतर्गत आने वाली 'करुणा' और 'समानता' की भावना राजनीति को शोषितों और वंचितों के प्रति संवेदनशील बनाती है। विवेकानंद और गांधी के विचार इसी सकारात्मक हस्तक्षेप के उदाहरण हैं।

धर्म का अनुचित हस्तक्षेप: जब धर्म 'विभाजन की राजनीति' बनता है

धर्म का हस्तक्षेप तब अनुचित और लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन जाता है जब उसका स्वरूप 'सांप्रदायिक' (Communal) हो जाता है:

1. **वोट बैंक की राजनीति:** चुनावों में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए धार्मिक भावनाओं का दोहन करना लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। जब नीतियां विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय 'धार्मिक पहचान' के आधार पर बनने लगती हैं, तो राष्ट्र की प्रगति बाधित होती है।
2. **कट्टरता और असहिष्णुता:** राजनीति में धर्म का अति-हस्तक्षेप अक्सर कट्टरता को जन्म देता है। इससे समाज में घृणा, दंगे और असुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है, जो 'विविधता में एकता' के भारतीय मूल मंत्र के विपरीत है।
3. **संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण:** जब धर्म राजनीति पर हावी होने लगता है, तो निष्पक्ष संस्थाएं दबाव में आ जाती हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होने की संभावना बढ़ जाती है।

संवैधानिक ढांचा और विधिक दृष्टिकोण

एक भावी लोक अभियोजक के रूप में, इस विषय का विधिक विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है:

- **पंथनिरपेक्षता (Secularism):** भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन (1976) द्वारा 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा।
- **अनुच्छेद 25-28:** जहाँ एक ओर यह नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, वहीं राज्य को 'सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य' के आधार पर धर्म में हस्तक्षेप का अधिकार भी देता है।
- **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** उच्चतम न्यायालय ने इस ऐतिहासिक मामले में घोषित किया कि 'पंथनिरपेक्षता' संविधान का 'आधारभूत ढांचा' (Basic Structure) है। यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है, तो उसे अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** इस अधिनियम की धारा 123(3) के अनुसार, धर्म, मूलवंश, जाति या समुदाय के नाम पर वोट मांगना एक 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) है, जिसके आधार पर चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है।
- **अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉम्मेचन (2017):** सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि "धर्म का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह वर्जित है।"

धर्म और राजनीति का वर्तमान स्वरूप

आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण और अधिक जटिल हो गया है। 'फेक न्यूज' और 'हेट स्पीच' के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना आसान हो गया है। राजनीतिज्ञों द्वारा धार्मिक स्थलों का चुनावी मंच के रूप में उपयोग करना और प्रतीकों की राजनीति करना 'उचित' और 'अनुचित' की रेखा को धुंधला कर देता है। धर्म अब 'निजी आस्था' का विषय न रहकर 'सार्वजनिक शक्ति' का प्रदर्शन बनता जा रहा है।

विश्लेषण: समाधान का मार्ग

राजनीति और धर्म का पूर्ण विच्छेद संभवतः व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग समाज से आते हैं और समाज धर्म से गहराई तक जुड़ा है। समाधान धर्म के **'सार' (Essence)** को अपनाने में है, न कि उसके **'कर्मकांड' (Rituals)** को।

- राजनीति को 'धर्मप्राण' (Spiritually motivated) होना चाहिए न कि 'धर्मतंत्र' (Theocratic)।
- राजनीतिक दलों के लिए कड़े आचार संहिता का पालन अनिवार्य होना चाहिए।

प्रश्न -पत्र – IV (विधि - I) फौजदारी कानून व प्रक्रिया-सह पुलिस अधिनियम व विनियम
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE WITH POLICE ACT AND REGULATIONS
2015

1. एक पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधों के अन्वेषण की प्रक्रिया में अन्तर की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये ।

[10]

Ans– **प्रस्तावना :** आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत, अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: संज्ञेय (Cognizable) और असंज्ञेय (Non-cognizable) अपराध। "संज्ञेय अपराध" **[धारा 2(c) CrPC / धारा 2(1)(छ) BNSS]** से तात्पर्य ऐसे गंभीर अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके विपरीत, "असंज्ञेय अपराध" **[धारा 2(l) CrPC / धारा 2(1)(ण) BNSS]** कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिनमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का कोई प्राधिकार नहीं होता है। अपराध की गंभीरता में इसी अंतर के कारण, कानून इन दोनों प्रकार के अपराधों के अन्वेषण (investigation) के लिए पुलिस को अलग-अलग प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान करता है।

अन्वेषण की प्रक्रिया में अंतर

एक पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के अन्वेषण की प्रक्रिया में अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. **सूचना दर्ज करना**
   - **संज्ञेय अपराध:** जब किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है, तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह **धारा 154 CrPC [धारा 173 BNSS]** के तहत उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में दर्ज करे।
   - **असंज्ञेय अपराध:** जब किसी असंज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है, तो पुलिस अधिकारी उस सूचना का सार एक निर्धारित पुस्तक (जिसे आमतौर पर NCR - Non-Cognizable Report कहा जाता है) में दर्ज करेगा और **धारा 155(1) CrPC [धारा 174(1) BNSS]** के तहत सूचक को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देगा।
2. **मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण की शक्ति**
   - **संज्ञेय अपराध:** संज्ञेय मामलों में पुलिस को अन्वेषण करने का स्वतंत्र वैधानिक अधिकार है। **धारा 156(1) CrPC [धारा 175(1) BNSS]** के अनुसार, कोई भी थाना प्रभारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है।
   - **असंज्ञेय अपराध:** असंज्ञेय मामलों में पुलिस को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। **धारा 155(2) CrPC [धारा 174(2) BNSS]** के तहत, कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सुपुर्द करने की शक्ति रखने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण नहीं करेगा।
3. **अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी की शक्ति**
   - **संज्ञेय अपराध:** संज्ञेय अपराध के अन्वेषण के दौरान, यदि वैधानिक शर्तें पूरी होती हैं, तो अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को **धारा 41 CrPC [धारा 35 BNSS]** के तहत संदिग्ध आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त होती है।
   - **असंज्ञेय अपराध:** यदि कोई मजिस्ट्रेट पुलिस को किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण करने का आदेश दे भी देता है, तब भी पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। **धारा 155(3) CrPC [धारा 174(3) BNSS]** स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के संबंध में वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो संज्ञेय मामले में होती हैं, सिवाय बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति के।
4. **मिश्रित अपराधों वाले मामले** व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जहाँ एक ही घटना में कई अपराध शामिल हों, कानून एक कानूनी कल्पना (deeming fiction) का प्रावधान करता है। **धारा 155(4) CrPC [धारा 174(4) BNSS]** के अनुसार, यदि किसी मामले का संबंध दो या अधिक अपराधों से है और उनमें से कम से कम एक अपराध 'संज्ञेय' है, तो इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं, पूरा मामला संज्ञेय मामला ही समझा जाएगा। पुलिस पूरे मामले का अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कर सकेगी।

निष्कर्ष : अन्वेषण की प्रक्रिया में यह वैधानिक अंतर मुख्य रूप से राज्य की शक्ति (state power) और व्यक्ति की स्वतंत्रता (individual liberty) के बीच संतुलन स्थापित करता है। गंभीर (संज्ञेय) अपराधों में, कानून पुलिस को त्वरित कार्रवाई—एफआईआर दर्ज करने, अन्वेषण करने और बिना न्यायिक अनुमति के गिरफ्तार करने—का अधिकार देता है ताकि साक्ष्य नष्ट न हों या अपराधी भाग न जाए। वहीं, कम गंभीर (असंज्ञेय) अपराधों में, कानून पुलिस द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है और यह अनिवार्य करता है कि पुलिस अन्वेषण शुरू करने या गिरफ्तारी करने से पूर्व मजिस्ट्रेट का आदेश (Judicial scrutiny) अवश्य प्राप्त करे।

2. आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु के प्रकरणों में पुलिस द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिये ।

[5]

Ans– **प्रस्तावना :** अप्राकृतिक, अचानक या संदिग्ध मृत्यु के मामलों में, आपराधिक कानून मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा एक प्रारंभिक तथ्य-अन्वेषण (fact-finding) प्रक्रिया को अनिवार्य करता है। इस प्रक्रिया को आम तौर पर "मृत्यु-समीक्षा" (Inquest) या "पंचनामा" तैयार करना कहा जाता है। आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु के मामलों में पुलिस द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया **दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 174 और 175** द्वारा शासित होती है, जो अब नई **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 194 और 195** के समतुल्य है।

आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु के प्रकरणों में अन्वेषण की प्रक्रिया

1. **कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना :** जब किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी (या विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी) को यह इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या किसी अन्य व्यक्ति, जानवर, मशीन या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई है जिससे उचित संदेह उत्पन्न होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह मृत्यु-समीक्षा (inquest) करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत इसकी सूचना देगा।
2. **घटनास्थल पर जाना और मृत्यु-समीक्षा करना :** जब तक कि किसी नियम या आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, पुलिस अधिकारी उस स्थान पर जाएगा जहां मृतक का शरीर रखा है। वहां, वह पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा।
3. **मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट (Inquest Report / Panchnama) तैयार करना:** अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी मृत्यु के दृश्यमान (apparent) कारण की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित का वर्णन होना चाहिए:
   - शरीर पर पाए गए घावों, अस्थिभंगों (fractures), नीलों और चोट के अन्य निशानों का विवरण।

Sample Preview

प्रश्न पत्र – V (विधि – II) साक्ष्य विधि (Law of Evidence)

2015

1. तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हैं? क्या सभी सुसंगत तथ्य न्यायालय में ग्राह्य हैं? समझाइए ।

[10]

Ans– **प्रस्तावना** साक्ष्य विधि न्याय प्रशासन को सुगम बनाने के लिए एक प्रक्रियात्मक तंत्र के रूप में कार्य करती है। वैधानिक ढांचे के तहत, केवल "विवादक तथ्यों" और "सुसंगत तथ्यों" का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। "सुसंगतता" और "ग्राह्यता" साक्ष्य विधि के दो मूलभूत स्तंभ हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि निर्णय तक पहुँचने के लिए न्यायालय कानूनी रूप से किन जानकारियों पर विचार कर सकता है।

तथ्यों की सुसंगतता (Relevancy of Facts) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 (तथा **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(k)**) के अंतर्गत, एक तथ्य दूसरे तथ्य से "सुसंगत" तब कहा जाता है जब वह तथ्य दूसरे तथ्य से अधिनियम में दी गई सुसंगतता से संबंधित किसी भी तरीके (ways of connection) से जुड़ा हो।

अधिनियम की **धारा 6 से 55** (BSA की धारा 4 से 50) में सुसंगतता के इन आधारों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। किसी तथ्य को तार्किक रूप से तब सुसंगत माना जाता है जब उसमें सिद्ध करने का बल (probative force) हो—अर्थात, वह किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसम्भाव्य या अनधिसम्भाव्य बना दे। उदाहरण के लिए, एक ही संव्यवहार का भाग (res gestae), हेतु (motive), तैयारी (preparation), पश्चात्वर्ती आचरण (subsequent conduct), और पहचान (identity) स्थापित करने वाले तथ्यों को कानूनी रूप से "सुसंगत तथ्य" घोषित किया गया है।

क्या सभी सुसंगत तथ्य न्यायालय में ग्राह्य (Admissible) हैं? नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सुसंगत तथ्य न्यायालय में ग्राह्य हों।

यद्यपि "सुसंगतता" और "ग्राह्यता" शब्दों का उपयोग अक्सर समानार्थी रूप में किया जाता है, लेकिन इनके कानूनी प्रभाव पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इस अंतर को निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. **सुसंगतता तर्क (Logic) पर आधारित है; ग्राह्यता कानून (Law) पर आधारित है** कोई तथ्य तार्किक रूप से विवादक तथ्य से जुड़ा हो सकता है और उसका उच्च प्रमाणिक मूल्य (probative value) हो सकता है, लेकिन फिर भी कानूनी नीति (legal policy) के आधार पर न्यायालय उसे अस्वीकार कर सकता है। ग्राह्यता कानून का प्रश्न है जिसे 'लेक्स फोरी' (lex fori - फोरम के कानून) द्वारा सख्ती से निर्धारित किया जाता है।
2. **मुख्य सूत्र (The Core Maxim)** साक्ष्य का स्थापित नियम यह है: **"सभी ग्राह्य साक्ष्य सुसंगत होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी सुसंगत साक्ष्य ग्राह्य हों। अतः, ग्राह्यता में सुसंगतता शामिल है, लेकिन सुसंगतता में ग्राह्यता शामिल नहीं है"**।
3. **सुसंगत किंतु अग्राह्य तथ्यों के उदाहरण** ऐसी कई वैधानिक पाबंदियां हैं जो तार्किक रूप से सुसंगत तथ्यों को कानूनी रूप से अग्राह्य बना देती हैं:
   - **विशेषाधिकृत संसूचनाएं :** विवाह के दौरान पति और पत्नी के बीच, या एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच हुए संचार किसी अपराध को साबित करने के लिए अत्यधिक सुसंगत हो सकते हैं। हालाँकि, लोक नीति के कारण, कानून इन संसूचनाओं को संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे न्यायालय में अग्राह्य हो जाते हैं।
   - **अनुश्रुत साक्ष्य :** कोई कथन मामले के तथ्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत हो सकता है, लेकिन यदि वह अनुश्रुत (hearsay) है, तो उसे आम तौर पर बाहर रखा जाता है और अग्राह्य माना जाता है क्योंकि उसकी सत्यता का परीक्षण प्रतिपरीक्षा (cross-examination) द्वारा नहीं किया जा सकता।
   - **पुलिस को की गई संस्वीकृति :** किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करना तार्किक रूप से उसका दोष साबित कर सकता है (अत्यधिक सुसंगत), लेकिन पुलिस के दबाव को रोकने के लिए इसे IEA की धारा 25 (BSA की धारा 23) के तहत स्पष्ट रूप से अग्राह्य (inadmissible) माना गया है।
   - **अपंजीकृत/अस्टाम्पित दस्तावेज :** यदि किसी दस्तावेज का कानून द्वारा पंजीकृत या स्टाम्प होना आवश्यक है और वह नहीं है, तो वह साक्ष्य के रूप में अग्राह्य हो जाता है, भले ही उसकी अंतर्वस्तु विवाद के लिए पूरी तरह से सुसंगत हो।
4. **न्यायिक पूर्वोदाहरण राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य** के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया कि सुसंगतता और ग्राह्यता एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने योग्य शब्द नहीं हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कुछ तथ्यों का प्रमाणिक मूल्य बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन उनकी ग्राह्यता विधिक नीति (legal policy) पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष निष्कर्ष के तौर पर, सुसंगतता एक वंश (genus) है और ग्राह्यता उसकी एक प्रजाति (species) है। सुसंगतता तथ्यों के बीच तार्किक संबंध को दर्शाती है, जबकि ग्राह्यता उस कानूनी जनादेश को संदर्भित करती है जो न्यायालय द्वारा किसी सुसंगत तथ्य को स्वीकार करने की अनुमति देती है। किसी भी साक्ष्य को विचारण (trial) में प्रस्तुत किए जाने के लिए दो बाधाओं को पार करना होता है: पहला, उसे अधिनियम की निर्धारित धाराओं के तहत तार्किक रूप से **सुसंगत** होना चाहिए, और दूसरा, उसे कानून या लोक नीति के किसी भी अपवर्जक नियम (exclusionary rules) में न आकर **ग्राह्यता** (admissibility) की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

2. कारण सहित उत्तर दीजिए कि क्या निम्न मामलों में जो तथ्य साबित किए जा रहे हैं, सुसंगत हैं :

(i) चोरी का अभियुक्त 'क' को चुराई हुई सम्पत्ति को 'ख' को देते हुए देखा गया और 'ख' को उसे 'क' की पत्नी को देते हुए देखा गया। 'ख' उसे देते हुए कहता है, ""क' ने कहा है कि तुमको यह छिपाना है"। क्या 'ख' का कथन सुसंगत है?

[5]

(ii) प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने अपराध किया है? परिस्थितियाँ ऐसी है कि अपराध 'क', 'ख', 'ग' या 'घ' के द्वारा किया गया होना चाहिए। प्रत्येक तथ्य यह दर्शित करता है कि अपराध और किसी के द्वारा कारित नहीं किया गया है और यह 'ख', 'ग' या 'घ' के द्वारा नहीं किया गया। क्या उपर्युक्त तथ्य सुसंगत हैं?

[5]

Ans– **(i) हाँ, 'ख' का कथन सुसंगत (relevant) है।**

सुसंगत प्रावधान: दिया गया प्रश्न **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9** पर आधारित है, जो **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 7** के अनुरूप है।

कारण: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य (fact in issue) या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन (introduction) के लिए आवश्यक हैं, वहाँ तक सुसंगत हैं जहाँ तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। प्रत्येक मामले के पीछे एक तथ्यात्मक कहानी होती है, और उन तथ्यों के लिए हमेशा साक्ष्य की अनुमति दी जाती है जो मुख्य तथ्य को पेश करने या समझाने के लिए आवश्यक होते हैं।

Sample Preview

PAPER – II {GENERAL ENGLISH}

Practice Paper - I

1. Write an essay in about 400–500 words on any ONE of the following: (15 Marks)

(a) Role of Prosecutors in the Criminal Justice System
(b) Rule of Law and Its Importance in a Democratic Society
(c) Impact of Technology on Administration of Justice
(d) Delay in Justice Delivery System in India

Ans.

(a) Rule of Law and Its Importance in a Democratic Society

The **Rule of Law** is the bedrock of any civilized and democratic society. It is the principle that all people, institutions, and entities—both public and private—are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced, and independently adjudicated. In a democracy, the Rule of Law ensures that no individual, regardless of their status or power, is above the law.

The importance of the Rule of Law in a democracy cannot be overstated. First, it acts as a safeguard against **arbitrary governance**. Without the Rule of Law, a democracy can easily slip into an autocracy or a "tyranny of the majority," where the rights of minorities are ignored. By ensuring that government power is exercised only in accordance with written laws, it prevents the abuse of authority and protects the fundamental rights of citizens.

Second, the Rule of Law is essential for the **protection of human rights**. Laws provide a framework within which citizens can exercise their freedoms—such as speech, assembly, and religion—without fear of persecution. When the law is supreme, individuals have a clear recourse through an independent judiciary if their rights are violated. This creates a sense of security and stability, which is vital for the social and economic development of a nation.

Third, it ensures **equality before the law**. In a truly democratic society, justice must be blind to wealth, caste, religion, or political affiliation. The Rule of Law guarantees that every citizen has equal access to justice. This equality fosters public trust in the legal system and the government, encouraging civic participation and social cohesion.

Finally, the Rule of Law promotes **economic stability**. Investors and businesses are more likely to thrive in an environment where contracts are enforceable, property rights are protected, and the legal system is predictable.

In conclusion, the Rule of Law is not just a legal concept but a moral one that upholds the dignity of every individual. It is the invisible thread that holds a democratic society together, ensuring that "justice for all" remains a reality rather than a mere slogan.

(b) Rule of Law and Its Importance in a Democratic Society

The Rule of Law is the fundamental principle that "the law is king," ensuring that no individual—regardless of their status or power—is above legal accountability. In a democracy, it serves as the ultimate safeguard against arbitrary governance and the "tyranny of the majority". It guarantees that government power is exercised only through publicly promulgated laws, protecting the fundamental rights of all citizens.

Its importance lies in three core pillars: equality before the law, the absence of arbitrary power, and the supremacy of the legal spirit. When the Rule of Law is upheld, it fosters a sense of security and stability, which is vital for a nation's social and economic development. Citizens can exercise freedoms—such as speech and assembly—knowing they have a legal recourse through an independent judiciary if those rights are violated.

Furthermore, the Rule of Law promotes economic prosperity by protecting property rights and ensuring that contracts are enforceable in a predictable legal environment. Without it, democracy can easily slide into autocracy, where power is dictated by whim rather than justice. Ultimately, the Rule of Law is the invisible thread that holds a democratic society together, ensuring that justice is not just a privilege for the powerful but a right for every individual.

(c) Impact of Technology on Administration of Justice

Technology has transformed the judiciary from a physical "place" to a digital "service," significantly enhancing access to justice. In India, initiatives like the e-Courts Mission Mode Project and the National Judicial Data Grid (NJDG) have digitalized millions of records, providing unprecedented transparency and speed. Virtual hearings and video conferencing have ensured that the justice system remained functional even during global crises like the pandemic, saving immense time and travel costs for litigants.

Advancements in Artificial Intelligence (AI) and machine learning are being explored to assist judges in legal research, case management, and even sentencing evaluations. Tools like 'SUPACE' help process massive amounts of legal data, allowing for more informed decision-making. Digital forensics and cybercrime units

Sample Preview

प्रश्न पत्र – VI (विधि – III) Other Acts (अन्य अधिनियम)

(i) आयुध अधिनियम, 1959

1. आयुध अधिनियम, 1959 का उद्देश्य क्या है?

Ans. -

आयुध अधिनियम, 1959 का उद्देश्य भारत में आयुधों और गोलाबारूद के अर्जन, कब्जे, विनिर्माण, विक्रय और अंतरण को विनियमित और नियंत्रित करना है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके और लोक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सख्त अनुज्ञापन प्रावधानों को लागू करके अवैध आयुधों की तस्करी को रोकने और विधि और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है। इस अधिनियम ने भारतीय आयुध अधिनियम, 1878 की जगह ली, जो प्रतिबंधात्मक और विभेदपूर्ण था, ताकि जिम्मेदार नागरिकों को कानूनी नियमों के तहत अग्न्यायुध रखने की अनुमति देने वाला अधिक संतुलित ढांचा स्थापित किया जा सके। यह आयुधों को निषिद्ध और गैर-निषिद्ध श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्राधिकृत व्यक्ति या संस्थाएँ ही उन तक पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त, यह आयुधों के अवैध कब्जे और उपयोग के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है, जिससे शस्त्रों से जुड़े अपराधों के खिलाफ़ एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके। अधिनियम का उद्देश्य अंततः वैध मामलों में विनियमित अग्न्यायुध स्वामित्व की अनुमति देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है।

2. अधिनियम की धारा 2(1)(ग) के अंतर्गत "आयुध" को परिभाषित करें।

Ans. -

आयुध अधिनियम, 1959 की **धारा 2(1)(ग)** के तहत, "आयुध" का **अर्थ** है और **इसमें सम्मिलित है**-

(i) आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं;

(ii) अग्न्यायुध, जैसे राइफल और पिस्तौले; या

(iii) अन्य शस्त्र, जिनमें तीक्ष्ण धार वाले, नुकीले और घातक शस्त्र शामिल हैं, जो शारीरिक क्षति पहुंचा सकते हैं; या

(iv) आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी।

परिभाषा में आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए परिकल्पित किए गए सभी घातक उपकरण सम्मिलित हैं, जो अधिनियम के तहत व्यापक विनियमन सुनिश्चित करते हैं। इसमें निम्नलिखित **सम्मिलित नहीं है**-

(i) केवल घरेलू या कृषिक उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं, जैसे लाठी या मामूली छड़ी;

(ii) वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हों।

3. अधिनियम की धारा 2(1)(ख) के अंतर्गत "गोलाबारूद" को परिभाषित करें।

Ans. - आयुध अधिनियम, 1959 की **धारा 2(1)(ख)** के तहत, "गोलाबारूद" से किसी अग्न्यायुध के लिए गोलाबारूद अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं-

(i) रोकट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य अस्त्र,

(ii) टारपीडो को काम में लाने और अन्तःसमुद्री सुरंगे बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं,

(iii) विस्फोटक, स्फूर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री या अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाली या अन्तर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्न्यायुधों के साथ उपयोग के योग्य हों या न हों,

(iv) अग्न्यायुधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन,

(v) पलीते और घर्षण नलिकाएं,

(vi) गोलाबारूद के संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी, और

(vii) गोलाबारूद के ऐसे संघटक जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

यह परिभाषा गोला-बारूद के रूप में उपयोग की जा सकने वाली सभी सामग्रियों को विनियमित करने के लिए व्यापक है, तथा उनके कब्जे, विनिर्माण और अंतरण पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

4. धारा 2(1)(झ) के अनुसार "प्रतिषिद्ध आयुधों" का क्या अर्थ है?

Ans. - आयुध अधिनियम, 1959 की **धारा 2(1)(झ)** के तहत, "प्रतिषिद्ध आयुधों" से तात्पर्य ऐसे शास्त्रों से है जो या तो स्वाभाविक रूप से खतरनाक हैं या सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित हैं। परिभाषा के अनुसार, इसका अर्थ है-

(i) वे अग्न्यायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए, तो जब तक दबाव घोड़े पर से हटा न लिया जाए, या अस्त्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए, अस्त्र छूटते रहें, अथवा

(ii) किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर, द्रव, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हों, और

(iii) तोपें, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्नायुध, और

(iv) ऐसे अन्य आयुध आते हैं, जैसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध होना विनिर्दिष्ट करें।

5. धारा 9 के अनुसार आयुध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

Ans. - **धारा 9-** तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध।

सामान्य प्रतिषेध- कोई भी व्यक्ति तब तक कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और न वहन करेगा, जब तक कि उसके पास अधिनियम के तहत जारी वैध अनुज्ञप्ति न हो।

आयु और आचरण के आधार पर प्रतिषेध- निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति अग्न्यायुध या गोलाबारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से प्रतिषिद्ध है-

(i) **आयु प्रतिबंध-** वह व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
जिस व्यक्ति ने विहित आयु-सीमा पूरी कर ली है वह विहित शर्तों के अधीन ऐसे अग्न्यायुधों का प्रयोग कर सकेगा जो ऐसे अग्न्यायुधों का उपयोग करने में उसके प्रशिक्षण की चर्या में विहित किए जाएं। परन्तु विभिन्न प्रकार के अग्न्यायुधों के संबंध में विभिन्न आयु-सीमाएं विहित की जा सकेंगी।

(ii) **दोषसिद्धि-** कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक अवचार अन्तर्वलित हो किसी अवधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, उस दण्डादेश के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय।

Sample Preview

(iii) **बन्धपत्र-** कोई भी व्यक्ति जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, उस बन्धपत्र की अवधि के दौरान किसी समय।

6. बिना अनुज्ञप्ति के गोलबारूद रखने पर दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है?

Ans. - आयुध अधिनियम, 1959 की **धारा 25** कुछ अपराधों के लिए दंड से संबंधित है। अधिनियम की **धारा 25(1ख)(क)** के अनुसार, जो कोई भी धारा 3 के उल्लंघन में, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, यानी कोई भी व्यक्ति जो वैध अनुज्ञप्ति के बिना कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करता है, अपने कब्जे में रखता है या ले जाता है, उसे कम से कम दो वर्ष का कारावास, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास का जिसकी अवधि दो वर्ष से कम होगी, दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

7 धारा 15 के अनुसार आयुध अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि कितनी होती है?

Ans. - आयुध अधिनियम, 1959 की **धारा 15** के अनुसार, धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति उस तारीख से, जिसको वह अनुदत्त की जाए, पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी, यदि पहले ही प्रतिसंहृत न कर दी जाए।

परन्तु ऐसी अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत्त की जा सकेगी यदि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वैसा चाहे या यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे किसी मामले में यह समझे कि अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत की जानी चाहिए।

8. आयुधों के विनिर्माण को नियंत्रित करने का प्रावधान किस धारा में किया गया है?

Ans. -

आयुध अधिनियम, 1959 की **धारा 5** आयुधों और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारूद को तब तक-

(क) न तो, उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा, विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; और

(ख) न विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।

9. प्रतिषिद्ध आयुधों को रखने पर दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है?

Ans. - आयुध अधिनियम, 1959 की **धारा 25** कुछ अपराधों के लिए दंड से संबंधित है। अधिनियम की **धारा 25(1क)** के अनुसार, जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

परंतु न्यायालय, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा।

इस सख्त प्रावधान का उद्देश्य अत्यधिक खतरनाक शास्त्रों के कब्जे और उपयोग को रोकना है जो लोक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

10. आत्म- प्रतिरक्षा के लिए आयुधों के उपयोग से संबंधित कौन सी धारा है?

Ans. - आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत, कोई विशिष्ट धारा नहीं है जो सीधे आत्म-प्रतिरक्षा के लिए आयुधों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। हालाँकि, आत्म-प्रतिरक्षा के लिए आयुधों का उपयोग भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 96 से 106 द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है।

यह अधिनियम मुख्य रूप से आयुधों और गोलाबारूद की अनुज्ञप्ति और विनियमन पर केंद्रित है। **धारा 3** विशेष रूप से अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को अर्जित करने, कब्जे में रखने या ले जाने के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता को संबोधित करती है, और **धारा 25** अग्न्यायुधों के दुरुपयोग सहित अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती है, लेकिन आत्म-प्रतिरक्षा के लिए आयुधों के उपयोग को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करती है।

निर्णीत विधि- सुनील दत्त त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य (2023) में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब आत्म-प्रतिरक्षा के उद्देश्य से पिस्तौल चलाई जाती है तो अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है।

हालांकि, **धारा 13(3)** में यह कहा गया है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित को अनुदत्त करेगा-

(क) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां कि वह अनुज्ञप्ति-

(i) संरक्षा या आखेट में उपयोग में लाए जाने के लिए बीस इंच से अन्यून लम्बी नाल वाली चिकने बोर की बन्दूक के संबंध में या फसल संरक्षा के लिए सद्भाविक उपयोग में लाई जाने के लिए नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक के संबंध में भारत के नागरिक द्वारा अपेक्षित की जाए।

परन्तु जहां कि किसी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए, कि नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक फसल संरक्षा के लिए पर्याप्त न होगी,वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी संरक्षा के लिए यथापूर्वोक्त किसी अन्य चिकने बोर की बंदूक के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा; अथवा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए पाइंट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल के सम्बन्ध में अपेक्षित की जाए।

(ख) किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति या धारा 4, 5, 6, 10 या 12 के अधीन की अनुज्ञप्ति उस दशा में अनुदत्त करेगा, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसे अभिप्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है।

11. आयुधों के आयात और निर्यात को विनियमित करने का प्रावधान किस धारा में किया गया है?

Ans. -

Sample Preview

(vi) सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000

Ch. - I. : प्रारम्भिक (1-2)

1. बताइए कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य:
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार, साइबर कैफे का अर्थ है कोई भी ऐसा स्थान जहाँ से निर्दिष्ट व्यवसाय में कार्यरत योग्य व्यक्ति द्वारा आम जनता को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है।

Ans. - परिचय

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) भारत में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और साइबर अपराध के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। इंटरनेट-जनित अपराधों की बढ़ती संख्या के साथ, इस अधिनियम ने सार्वजनिक सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए साइबर कैफे सहित मध्यस्थों (Intermediaries) को विनियमित करने हेतु विशिष्ट परिभाषाएँ और नियम पेश किए।

कानूनी परिभाषा

अधिनियम की धारा 2(1)(na) के तहत, साइबर कैफे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
"कोई भी ऐसी सुविधा जहाँ से किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट तक पहुँच (एक्सेस) प्रदान की जाती है।"
यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें न केवल स्वतंत्र दुकानें, बल्कि हवाई अड्डों, होटलों और रेस्तरां में इंटरनेट कियोस्क भी शामिल हैं।

प्रमुख नियामक आवश्यकताएं (नियम, 2011)

दुरुपयोग को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2011 अधिसूचित किए। मुख्य अनुपालन उपायों में शामिल हैं:

- **उपयोगकर्ताओं की पहचान:** मालिकों को इंटरनेट एक्सेस देने से पहले वैध दस्तावेजों (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड) के माध्यम से उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करनी होगी।
- **लॉग का रखरखाव:** कम से कम एक वर्ष के लिए "लॉग रजिस्टर" बनाए रखना अनिवार्य है, जिसमें उपयोगकर्ता का विवरण, उपयोग किया गया टर्मिनल और लॉग-इन/लॉग-आउट का समय दर्ज होना चाहिए।
- **भौतिक बनावट:** निजी अवैध कृत्यों को रोकने के लिए, क्यूबिकल की ऊंचाई 4.5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, और स्क्रीन का मुख सामान्य क्षेत्रों की ओर बाहर की तरफ होना चाहिए।
- **कंटेंट फ़िल्टरिंग:** कैफे को अश्लील या आपत्तिजनक वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

महत्व और चुनौतियाँ

अपराध की रोकथाम: ये नियम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन साइबर अपराधियों का पता लगाने में मदद करते हैं जो गुमनाम रहने के लिए सार्वजनिक टर्मिनलों का उपयोग करते हैं।

चुनौतियाँ: कई छोटे कैफे मालिकों को सख्त लॉगिंग और सिंक्रोनाइज़ेशन नियमों के पालन में उच्च रखरखाव लागत और तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

यद्यपि व्यक्तिगत स्मार्टफोन के प्रसार ने साइबर कैफे के दबदबे को कम कर दिया है, फिर भी वे भारत में कई लोगों के लिए इंटरनेट पहुंच का एक महत्वपूर्ण जरिया बने हुए हैं। इन सुविधाओं के लिए आईटी अधिनियम का नियामक ढांचा अनिवार्य पहचान और गतिविधि लॉगिंग के माध्यम से सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की भारत के बाहर किए गए अपराधों पर लागू होने की स्थिति पर चर्चा कीजिए।

or

भारत के बाहर किए गए अपराधों के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अतिरिक्त-क्षेत्राधिकार (Extra-territorial Jurisdiction) का परीक्षण कीजिए।

भारत के बाहर किए गए अपराधों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के लागू होने से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

Ans. - परिचय

साइबर अपराध अक्सर सीमाहीन होते हैं, जहाँ एक देश में बैठा अपराधी दूसरे देश के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे निपटने के लिए, आईटी अधिनियम, 2000 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो इसके अधिकार क्षेत्र को भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर तक फैलाते हैं। यह "टारगेट थ्योरी" (Target Theory) पर आधारित है—यदि लक्ष्य (कंप्यूटर या नेटवर्क) भारत में है, तो भारतीय कानून लागू होगा।

प्रमुख वैधानिक प्रावधान

अधिनियम की बाह्य-क्षेत्रीय प्रकृति मुख्य रूप से दो धाराओं के माध्यम से स्थापित होती है:
धारा 1(2): विस्तार और प्रारंभ यह स्पष्ट रूप से बताता है कि अधिनियम का विस्तार पूरे भारत पर है और, जैसा कि अन्यथा प्रदान किया गया है, यह किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होता है।
धारा 75: भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड यह मुख्य प्रावधान है। यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराध पर लागू होता है यदि उस कार्य में भारत में स्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है। प्रयोज्यता (Applicability) के लिए आवश्यक शर्तें भारत के बाहर किसी व्यक्ति पर आईटी अधिनियम लागू होने के लिए, निम्नलिखित सत्य होना चाहिए:
उपकरण: अपराध में कंप्यूटर, सिस्टम या नेटवर्क शामिल होना चाहिए।
स्थान: वह विशिष्ट कंप्यूटर या नेटवर्क भौतिक रूप से भारत के क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।
पहचान: यह अपराधी की राष्ट्रीयता (भारतीय या विदेशी) की परवाह किए बिना लागू होता है।

प्रासंगिक केस कानून

SMC न्यूमेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम जोगेश

क्वात्रा: यह साइबर मानहानि के संबंध में भारत के पहले मामलों में से एक था। अदालत ने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजे गए अपमानजनक ईमेल पर अपने अधिकार क्षेत्र को मान्यता दी, जिससे यह स्थापित हुआ कि प्रभाव का आभासी (virtual) स्थान मायने रखता है।

 www.LinkingLaws.com

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.
Available in English and Hindi Edition

Sample Preview

Civil Major Laws

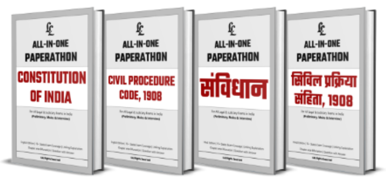

Criminal Major Laws

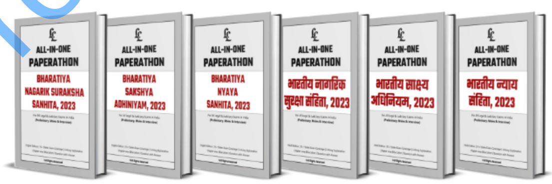

Civil Minor Laws

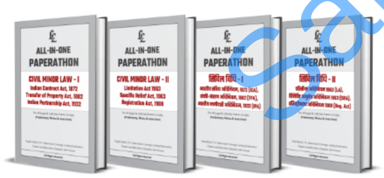

Criminal Minor Laws

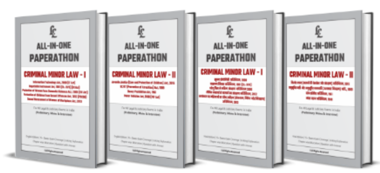

Family Laws

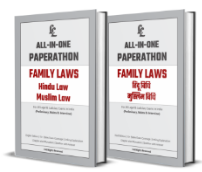

Uncodified Laws

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**